न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–72 / 2021

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम सिकमचंद्र चौहान एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव / प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0–92 / म0नि0, दिनांक 12.02.2021) के आलोक में सदर अंचल उत्पाद कांड संख्या–06 / 2021, दिनांक 29.01.2021, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त दो पहिया वाहन पल्सर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38T-6093, चेसीस संख्या–MD2A11CY3JRH36000, ईंजन संख्या–DHYRJH56566 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव / प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0–92 / म0नि0, दिनांक 29.01.2021), विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी निर्दोष है। उनके मोटरसाईकिल में कोई शराब नहीं था। वे गाड़ी सड़क पर लगाकर बाजार सामान खरीदने गये थे, ग्रामीण दुशमनी के कारण उन्हें फँसा दिया गया है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक, प्रहार बल, अररिया को दिनांक 29.01.2021 को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल से अवैध चुलाई शराब लेकर बैजनाथपुर आने वाला है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निरीक्षक मद्यनिषेध, फारबिसगंज संजीत कुमार के पर्यवेक्षण में बल के साथ विभागीय वाहन से गिदरिया बैजनाथपुर, वार्ड नं0–05 पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर उत्पाद विभाग की गाड़ी को देखकर एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति बाईक छोड़कर भागने लगा। मद्यनिषेध सिपाहियों द्वारा उक्त दोनों व्यक्ति का पीछा किया गया, परंतु वे भागने में सफल हो गये। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर दोनों का नाम व पता क्रमशः 1. सिकमचंद चौहान, पे0–दयानंद चौहान, सा0–वार्ड नं0 05, हृदयपुर, थाना–आर0एस0, जिला–अररिया एवं 2. कारू चौहान, पे0–मनिलाल चौहान, सा0–वार्ड नं0 05, हृदयपुर, थाना–आर0एस0, जिला–अररिया बताया। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उक्त पल्सर मोटर साईकिल की डिक्की खोलकर देखा तो उसमें से एक पाँच लीटर डब्बा में कुल 5 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ। बरामद चुलाई शराब तथा मोटर साईकिल को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है।	

अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38T-6093 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार सदर अंचल उत्पाद कांड संख्या–06/2021, दिनांक 29.01.2021 में जब्त मोटर साईकिल **पंजीयन संख्या–BR38T-6093, चेसीस संख्या–MD2A11CY3JRH36000, ईंजन संख्या–DHYRJH56566 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

Sd/
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

Sd/
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 72 / रा(न्या0), अररिया, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/21
अपर समाहर्त्ता,
अररिया